सम्पादक के नाम

नास्तिक होना

मैं बी ए तक बहुत ही धार्मिक था । इस दौरान दो बार सालासर (जहाँ हनुमान मंदिर है) पैदल गया (एक बार तो पेट के बल ,अंजनी माता के मंदिर से लेकर हनुमान मंदिर तक)। सालासर हमारे गांव से 222 km पड़ता है । मैं गले में हनुमानजी की गदा (ताबीजनुमा) भी पहनकर रखता । उस समय तक मैं बहुत ही कमजोर और डरपोक था । वज़न भी 50 किलो से कम ही था । इसके अलावा मेरी सोच भी मुस्लिम विरोधी,दलित विरोधी व महिला विरोधी थी परन्तु भगवान को बहुत मानता था । मोबाइल में गीत भी ज्यादातर भजन ही होते थे ।

मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता था और मुझे लगता था कि ये मनोकामना मेरी भगवान ही पूरी कर सकते हैं । मेरा चमत्कार में बहुत विश्वास था । मेरी सब्जी में बाल या कोई चींटी भी मिल जाती तो इसका श्रेय भगवान को देता की मैं भगवान को बहुत याद करता हूँ इसलिए चींटी तक दिख जाती है । मैंने बी ए के दौरान बहुत पेपर दिए नौकरी के लिए लेकिन पास एक भी न हुआ । बी ए के बाद मैंने एम ए हिंदी में दाखिला ले लिया । हमें हरभगवान चावला सर पढ़ाया करते थे । वो नास्तिक हैं और वामपंथी रुझान रखते हैं । उनकी कविताओं में भी यही स्वर है । चावला सर के सम्पर्क ,अध्यापन व उनकी कविताओं की वजह से मेरा झुकाव भी नास्तिकता की ओर होने लगा और मैंने मन्दिर जाना भी बंद कर दिया ।

मेरा एम ए के दौरान ही नेट और उसके बाद जेआरएफ़ हो गया।एम ए के बाद कॉलेज में पढ़ाने लगा और फिर मेरा पीएचडी में एडमिशन हो गया ।इस दौरान मैं बहुत से वामपंथी लोगों के सम्पर्क में आया। पीएचडी में मेरे शोध निर्देशक भी वामपंथी विचारधारा के होने के कारण मैं पूर्णतः नास्तिक हो गया।

आज मैं ना किसी से भेदभाव करता हूँ और न ही सहन कर पाता हूँ । मैं दलितों, मुस्लिमों व महिलाओं का भी बहुत सम्मान करने लगा हूँ।अब डर भी कम लगता है और वज़न भी 70 के पार चला गया है ।

आज फिर दाल में बाल मिला...तो सारी बातें स्मरण हो आई.....

– राजेश कसनिया

पूरे 3 साल लग गए जेएनयू के छात्रों के खिलाफ चार्जशीट बनाने में!

कई कई एजेंसियां लगाई गई थीं, कुछ टीवी चैनल भी जुटे थे! फिर भी एक साधारण, बेदम और फर्जी चार्जशीट बनाने में इतना वक्त?

कन्हैया, उमर और अनिर्बान को फंसाना तो चाहते हैं, पर इस चार्जशीट में भी उनके खिलाफ जब कुछ खास नहीं खोज पाए, तब 'देशद्रोह के षड्यंत्र में शामिल' होने जैसा कुछ जुमला खोजा गया!

अभी असम में, देश के एक विख्यात लेखक हिरेन गोहेन में एक "नया देशद्रोही" खोजा गया है!

कुछ साल पहले कर्नाटक की जानी-मानी लेखिका और संपादक सगौरीद्धुलंकेश में एक देशद्रोही खोजा गया था! खैर उनको तो खत्म ही कर डाला गया!

संघी-भाजपाई सरकार को इस वक्त न देश दिखाई दे रहा है, न संविधान और न समाज!

सिर्फ 2019 का चुनाव दिखाई दे रहा है!

असल मसलों और अपने कुकर्मों से ध्यान हटाने के लिए, लगता है, अब लगातार कुछ इसी तरह का करते रहने की योजना है!

– उर्मिलेश उर्मी

मेरी उम्मीदें बिखर चुकी हैं, मुझे आपका सहयोग चाहिए – प्रो. आनंद तेलतुम्बडे

जनज्वार विशेष

बिग डेटा के विशेषज्ञ वैज्ञानिक और दलित विषय पर देश के अग्रणी विचारकों में से एक प्रो. आनंद तेलतुम्बडे ने अपने चाहने और जानने वालों के नाम एक अपील जारी की है। प्रो. तेलतुम्बडे उन बुद्धिजीवियों में शामिल हैं जिन्हें पुणे पुलिस ने पिछले साल हुई भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में नामजद किया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महीने भर का वक्त इन बुद्धिजीवियों को जमानत लेने के लिए दिया था। सोमवार 14 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आनंद तेलतुम्बडे के खिलाफ पुणे पुलिस द्वारा की गई एफआइआर को रद्द करने संबंधी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने यह अपील जारी की है।

प्रो. तेलतुम्बडे ने लिखा है–

''अब तक मुझे भरोसा था कि पुलिस ने जो भी आरोप लगाए हैं उन्हें अदालत के सामने फर्जी साबित किया जा सकेगा इसलिए मैंने आप सब को परेशान नहीं किया था। अब हालांकि मेरी उम्मीदें पूरी तरह बिखर गई हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से मेरी याचिका खारिज होने के बाद मेरे पास पुणे की सत्र अदालत से ही ज़मानत लेने का रास्ता बचा है। अब समय आ गया है कि मेरी आसन्न गिरफ्तारी से मुझे बचाने के लिए विभिन्न तबके के लोग मिलकर एक अभियान छेड़ें।''

उन्होंने लिखा है–

''मेरे लिए गिरफ्तारी का मतलब केवल जेल की जिंदगी की कठिनाइयां नहीं हैं। यह मुझे मेरे लैपटॉप से दूर रखने का मामला है जो मेरी देह का एक अभिन्न अंग हो चुका है। यह मुझे मेरी लाइब्रेरी से दूर रखने का मामला है जो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, जहां आधी लिखी किताबें रखी जिसे देने का वादा प्रकाशकों से है, मेरे वे छात्र हैं जिन्होंने मेरी पेशेवर प्रतिष्ठा के नाम पर अपना भविष्य दांव पर लगाया है, मेरा संस्थान है जिसने मेरे नाम पर इतने संसाधन खर्च किए हैं और हाल ही में जिसने मुझे बोर्ड ऑफ गवर्नर का हिस्सा बनाया, और मेरे तमाम दोस्त व मेरा परिवार भी एक मसला है– मेरी पत्नी, जो बाबासाहब आंबेडकर की पौत्री हैं और जिन्होंने कभी भी इस नियति से समझौता नहीं किया और मेरी बेटियां, जो बिना यह जाने कि मेरे साथ बीते अगस्त से क्या हो रहा है, पहले से ही परेशान हैं।''

प्रो. तेलतुम्बडे ने अपील में इस बात का जिक्र किया है कि वे एक गरीब परिवार से आते हैं, फिर भी उन्होंने देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों को उत्तीर्ण किया, आइआइएम अमदाबाद से पढ़ाई की और वे चाहते तो बड़ी आसानी से ऐय्याशी भरा जीवन बिता सकते थे यदि उन्होंने अपने इर्द-गिर्द की सामाजिक असमताओं को नजरअंदाज करने का फैसला ले लिया होता।

इस लंबे पत्र में वे बताते हैं कि समाज के सरोकारों को जिंदा रखने के लिए वे किन संगठनों से जुड़े और क्या काम किया। वे लिखते हैं कि उन्हें दुस्वप्न में भी इस बात की आशंका नहीं थी कि इस देश की राजसत्ता उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी और उन्हें अपराधी करार देगी, जिसके लिए उन्होंने अपने पेशेवर जीवन में इतना सारा योगदान दिया है।

पत्र में उन्होंने विस्तार से उस साजिश का जिक्र किया है जिसके तहत उन्हें भीमा कोरेगांव का आरोपी बनाया गया है। अंत में वे लिखते हैं कि उनकी नादान उम्मीदें अब बिखर चुकी हैं और उनके ऊपर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। वे लिखते हैं–

''मेरे नौ सह-आरोपी पहले से ही जेल में हैं। मेरी तरह उन्हें आपसे सहयोग की अपील करने का मौका नहीं मिला। आप मेरे साथ खड़े होंगे तो न सिर्फ मुझे और मेरे परिवार को इस अन्याय से लड़ने में ताकत मिलेगी बल्कि इस देश के फासीवादी शासकों को यह संदेश भी जाएगा कि देश में ऐसे भी लोग हैं जो उन्हें ना कह सकते हैं।''

हर दौर की सरकार ने छत्रपति के हत्यारे गुरमीत राम रहीम को बचाना चाहा

भाजपा, कांग्रेस, इनैलो समेत छोटे मोटे दल भी इस फर्जी बाबा के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते थे...

धीरेश सैनी

गुरमीत सिंह उर्फ़ राम-रहीम को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। याद आ रहा है 25 अगस्त 2017 का वह दिन, जब उसे अपने डेरे की साध्वियों के रेप केस में दोषी पाया गया था। धर्म के नाम पर स्थापित अपनी धूर्त धर्मसत्ता और उसे राजसत्ता के अश्लील संरक्षण के चलते गुरमीत को भी तब वैसे फ़ैसले का गुमान नहीं था। बतौर याद दिहानी, यह जिक्र ठीक इस वक्त फिर किया जाना ज़रूरी है कि शहीद रामचंद्र छत्रपति का परिवार किसी नन्हें दीये की थरथराती लौ सा जब अंधकार के इस साम्राज्य से जूझ रहा था तो 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान वाली सरकार रेप और हत्या के अभियुक्त के साथ खड़ी हुई थी। अफ़सोस कि हरियाणा की पूर्व की सरकारें भी भयंकर अपराधों का गढ़ बने डेरे के साथ ही खड़ी दिखाई देती रही थीं।

हरियाणा के पंचकूला में स्थित सीबीआई की विशेष कोर्ट में जज जगदीप सिंह ने शुक्रवार को डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम और उसके तीन सहयोगियों निर्मल, कुलदीप और किशन लाल को सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के केस में दोषी करार दिया। गुरमीत पहले ही अपने डेरे की साध्वियों के साथ रेप के केस में जेल काट रहा है। इन्हीं जज जगदीप सिंह ने 28 अगस्त 2017 को उसे रेप केस में 20 साल की क़ैद व 30 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। उसे 25 अगस्त 2017 को दोषी करार दिया था तो जमकर हिंसा हुई थी जिसके छींटे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आए थे। तब जिस तरह की परिस्थितियां पैदा कर दी गई थीं, उससे लगता यही था कि आखिरी वक्त तक फ़ैसले को लंबित कराने की कोशिश की गई थी। 25 अगस्त 2017 को 'जनचौक' पर ही जो लिखा था, उसे फिर से दोहराना ज़रूरी लग रहा है।

पंचकूला और दूसरे शहरों में जारी हिंसा के तांडव के लिए कौन जिम्मेदार है? जो हो रहा है, क्या यह पहले ही साफ तौर पर नहीं दिखाई दे रहा था? क्या एक चार्जशीटेड अभियुक्त के चरणों में लहालोट होते केंद्र व प्रदेश की बीजेपी सरकारों को बने रहने का कोई नैतिक हक़ है? क्या यह हिंसा अप्रत्याशित है? क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी?

संक्षेप में कुछ बातें–

1- गुरमीत राम-रहीम बलात्कार और हत्याओं के गंभीर आरोपों से घिरे हुए थे। लेकिन, विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए सिरसा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेरे को लुभाने वाला भाषण दिया।

2- विधानसभा चुनाव में गुरमीत राम-रहीम का समर्थन पाने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया था और टॉप लीडरशिप ने हाजिरी लगाई थी।

3- जाहिर है कि सौदेबाजी हुई थी। आरएसएस के स्वयंसेवक मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हरियणा में सरकार बनी तो कैबिनेट रेप व हत्याओं के आरोपी बाबा से आशीर्वाद लेने पहुंची।

4- गुरमीत राम-रहीम की वाहियात फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया।

5- केंद्र व प्रदेश सरकारों के मंत्री डेरे में लहालोट होते रहे।

6- चार्जशीटेड अभियुक्त को सरकार ने ब्रांड अंबेसडर घोषित कर दिया। उसकी तारीफों के ट्वीट किए गए। मंत्री उस अभियुक्त के साथ झाड़ू लगाने के ड्रामे करते रहे।

7- क्या केंद्र व प्रदेश की सरकारें गंभीर अपराधों के आरोपों से घिरे एक ताकतवर शख्स का महिमामंडन करने में नहीं जुटी थी? जो वलनरेबल परिवार इतने बड़ी ताकत के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, उनके मनोबल पर, सरकारी मशीनरियों के मनोबल पर और न्यायिक अधिकारियों के मनोबल पर इस तरह क्या प्रभाव डाला जा रहा था?

8- क्या एक अपराधी को इस तरह मदद करने के लिए मंत्रीगण जिम्मेदार नहीं हैं?

9- क्या यह साफ नहीं था कि गुरमीत राम-रहीम को सजा सुनाई गई तो हिंसा हो सकती है?

10- इससे निपटने के लिए क्या इंतजाम किए गए?

11- अदालत के चिंता जताने के बावजूद भीड़ को पंचकूला में इकट्ठा होने दिया गया और सीनियर मंत्री रामविलास शर्मा भीड़ का हौसला बढ़ाने वाला ही बयान देते रहे? क्या सरकार चुनाव में मदद का अहसान उतार रही थी? जबकि भीड़ के पास पट्रोल बम जैसे हथियार होने की खबरें भी चल रही थीं।

12- क्या भविष्य में कोई सबक लिया जाएगा? एक अपराधी के अड्डे की छानबीन की जाएगी?

13- हिंसा शुरु हुई तो हालत यह थी कि फोर्स को देर तक समझ में नहीं आर रहा था कि क्या करे? जाहिर है कि कोई स्पष्ट रणनीति या निर्देश नहीं थे।

14- क्या भविष्य में कोई सबक लिया जाएगा? एक अपराधी के अड्डे की छानबीन की जाएगी? (आखिर एक अभियुक्त को सरकार क्यों देती रही खुला संरक्षण? शीर्षक से 25 अगस्त 2017 को प्रकाशित)

यह न समझ लिया जाए कि भाजपा से पूर्व की सरकारों ने इस मामले में डेरा सच्चा सौदा की मदद नहीं की थी। "पूरा सच" अखबार के संपादक रामचन्द्र छत्रपति को 24 अक्तूबर 2002 को सिरसा में उनके घर से बाहर बुलाकर पांच गोलियां मार दी गई थीं। दो हमलावरों को मौके पर ही पकड़ लिया गया था। छत्रपति ने 21 नवंबर 2002 को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इस केस में एफआईआर दर्ज कराने वाले छत्रपति के बेटे अरिदमन की उम्र महज 13 साल थी। गौरतलब है कि छत्रपति ने ही अपने अखबार में एक साध्वी की उस बेनाम चिट्ठी को प्रकाशित किया था जिसका 24 सितंबर 2002 को हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर सीबीआई जांच का आदेश दिया था।

उस दौरान हरियाणा में ओमप्रकाश चौटाला के नेतृत्व में इनेलो-भाजपा गठबंधन की सरकार थी। प्रदेश सरकार सीबीआई जांच की संस्तुति करने के लिए तैयार नहीं थी। पुलिस ने इस केस में डेरा प्रमुख की जमकर मदद की। शहीद पत्रकार छत्रपति के पुत्र अंशुल को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई और करीब 10 सालों तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे तो भी सरकार पर डेरे का ही असर रहा। अभियुक्त गुरमीत को जेड प्लस सिक्योरिटी मुहैया कराने से लेकर उसके अनुयायियों की भयंकर कारगुजारियों को अनदेखा करने का सिलसिला जारी रह।

एक दिन पहले ही अंशुल छत्रपति ने एक दिवंगत पूर्व सीएम का भी जिक्र किया जिसने उनके पिता के मित्र रहे किसी सरपंच के जरिये केस में समझौता कर लेने का सुझाव दिया था। शायद वह दिवंगत पूर्व सीएम वही हों जिनकी देवीलाल-चौटाला परिवार से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते उनके गृह जिले सिरसा में खास दिलचस्पी रहती आई थी। सिरसा में मशहूर रही अपुष्ट चर्चाओं के मुताबिक, डेरे को लेकर केवल एक मुख्यमंत्री की भृकुटि तनी थी और वह मुख्यमंत्री बंसीलाल थे। बंसीलाल हविपा-भाजपा गठबंधन सरकार के मुखिया थे। कहा जाता है कि तब डेरे ने लालकृष्ण आडवाणी के जरिये इस संकट को टाला था।

गुरमीत और उसके डेरे की ताकत और उसे सत्ताओं के संरक्षण की वजह से इस केस में आए फ़ैसले का महत्व और भी ज़्यादा है। भले ही जन सरोकारों के चलते सत्ताओं से टकराने वाले पत्रकारों और एक्टिविस्टों के दमन के मामले बढ़ते गए हों और अनेक में न्याय की धूमिल आशाएं भी न हों तो भी ऐसे गाढ़े वक़्त में यह केस प्रतिरोध की अनिवार्यता और गरिमा के तौर पर हौसला देने वाला है। यह इस बात की भी मिसाल है कि बड़े मीडिया घराने खरीद लिए जाएं या चुप करा दिए जाएं तो "पूरा सच"जैसा कोई "छोटा" सा अखबार और उसका प्रतिबद्ध संपादक कितना पुरअसर हो सकता है।

छत्रपति की बेटी श्रेयसी छत्रपति की कविता

अब कातिल कभी सो नहीं पायेगा

उस रात कोई नहीं सोया था
न घर में बैठे हम
न आईसीयू के बाहर चिंतित खड़ी मां
उस रात के बाद हम कई दिन नहीं सोये
पापा के घर लौटने के इंतजार में,
और फिर पापा लौट आये
उसी कफन में लिपटे हुए जो बड़े जूनून
के साथ उन्होंने अपने साथ रखा था
हमेशा और फिर उस कफन पर लिपटे फूलों ने कभी सोने नहीं दिया हमे
उन रातों में
हम ही नहीं जगे थे अकेले
छत्रपति भी जगे थे हमारे साथ
और कहते रहे
सो मत जाना
मेरे चैन से सो जाने तक
वह कहते रहे
सो मत जाना
कातिल के सलाखों में जाने तक अब पापा चैन से सो रहे हैं
और जेल के अँधेरे में जग रहा है कातिल आज रात कातिल सो नहीं पाएगा
छत्रपति का कफन उसके गले का फंदा बन
हर झपकी से उसे अचानक
जगायेगा, डरायेगा, रुलाएगा ,
हाँ ! कातिल अब कभी सो नहीं पायेगा